

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 4494
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

संवहनीय विमानन ईंधन का उत्पादन

4494. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संवहनीय विमानन ईंधन (एसएएफ) उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा एसएएफ पायलट परियोजनाओं और संचालित परीक्षण उड़ानों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमानन और ईंधन कंपनियों के साथ साझेदारी सहित एसएएफ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में एसएएफ उत्पादन में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त चुनौतियों से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) देश में एसएएफ के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास पहलों, सहयोगों या वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है, जिसमें एसएएफ के उत्पादन के लिए भारतीय रिफाइनरियों को प्रदान की गई सहायता भी शामिल है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में एसएएफ के विकास और उत्पादन को प्रोत्साहित करने का है ताकि इसे पारंपरिक विमानन ईंधन के साथ अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोले)

(क) से (ङ) : संवहनीय विमानन ईंधन (एसएएफ) का उपयोग निम्नलिखित परीक्षण उड़ानों में किया गया है:

i. मेसर्स विस्तारा ने दिनांक 29 मार्च, 2023 को 28% एसएएफ मिश्रित ईंधन का उपयोग करके यूएसए से भारत के लिए बी-787 की फेरी उड़ान परिचालित की।

ii. मेसर्स एयर एशिया ने दिनांक 19 मई, 2023 को 0.75% एसएएफ मिश्रित ईंधन के साथ पहली वाणिज्यिक घरेलू उड़ान (पुणे से दिल्ली) परिचालित की।

iii. मेसर्स स्पाइसजेट की उड़ान अगस्त, 2018 में देहरादून से दिल्ली के लिए एटीएफ के साथ मिश्रित 25% एसएएफ (भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, सीएसआईआर प्रयोगशाला द्वारा उत्पादित जैव ईंधन) के साथ परिचालित हुई।

iv. सभी एयरबस फेरी उड़ानें टूलूज़ से भारत के लिए 5% एसएएफ मिश्रित ईंधन पर उड़ान भरती हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने सूचित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां एकल एवं सह-प्रसंस्करण संयंत्रों सहित एसएएफ के उत्पादन के लिए पायलट/व्यावसायिक स्तर की सुविधाएं स्थापित कर रही हैं। एसएएफ के उत्पादन में उच्च पूंजीगत व्यय और परिचालन व्यय, महंगे फीडस्टॉक, खंडित आपूर्ति श्रृंखला, प्रमाणन और स्थिरता मानकों के लिए भारतीय प्रमाणन एजेंसी का अभाव, एसएएफ की खरीद के लिए एयरलाइन कंपनियों और तेल विपणन कंपनियों के बीच दीर्घकालिक ऑफ-टेक समझौतों की अनुपस्थिति, एसएएफ उत्पादन के लिए कर लाभ और सब्सिडी जैसी नीतिगत सहायता का अभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तथापि, परिकल्पित एसएएफ संयंत्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वाणिज्यिक परियोजनाएं स्थापित करके तथा वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास एवं स्वदेशीकरण के लिए मानक स्थापित करके घरेलू एसएएफ उत्पादन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को उत्प्रेरित करेंगे।

वर्ष 2019 में आरंभ और वर्ष 2024 में संशोधित की गई पीएम जी-वन योजना, एसएएफ संयंत्रों सहित वाणिज्यिक और प्रदर्शित उन्नत जैव ईंधन संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देती है। सरकार ने प्रारम्भिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एटीएफ में एसएएफ हेतु वर्ष 2027 तक 1%, वर्ष 2028 तक 2% तथा वर्ष 2030 तक 5% के सांकेतिक सम्मिश्रण लक्ष्यों को अनुमोदन दिया है।
